## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

## अधिसचना

संख्या—5 (न) वि—06/2015 1322/ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा—4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या—4537 दिनांक—02.09.2015 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार कटिहार जिलान्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची 'क' में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत गठित करती है तथा इसमें पड़ने वाले संक्रमणशील क्षेत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के सूसंगत प्रावधानों को लागू करती है:--

### अनुसची 'क'

## ग्रामों के नाम एवं थाना नं0

| (ক) | ग्राम का नाम                 | थाना सं0                           |
|-----|------------------------------|------------------------------------|
|     | 1. रघुनाथपुर                 | 671                                |
|     | 2. रघुनाथपुर                 | 04                                 |
|     | ३. रघुनाथपुर                 | 05                                 |
|     | 4. मौलनापुर                  | 07                                 |
|     | 5. भाग बारसोई                | 06                                 |
|     | 6. सुल्तानपुर                | 132                                |
|     | <ol> <li>डकैतपूजा</li> </ol> | 131                                |
| (ख) | वौहद्दी                      |                                    |
|     | उत्तर                        | मसनपुर                             |
|     | दक्षिण                       | आजमनगर प्र० का सीमाना, मौजा–चौन्दी |
|     | पूरब                         | बलतर                               |
|     | पश्चिम                       | आजमनगर एवं कदवा प्रखण्ड का सीमाना  |

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, बारसोई कहा जायेगा।

यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

ह0 ∕ −

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5 (न) वि-06 / 2015

/ न०वि०एवं.आ०वि०

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

> ਵ0 ∕ − प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या—५ (न) वि—०६/२०१५ 1322 / न०वि०एवं.आ०वि० /पटना, दिनांक- 26/2/16 विभाग / सभी प्रतिलिपि:-सभी विभागध्याक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त, / जिला पदाधिकारी. कटिहार / महालेखाकार, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, कटिहार / माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नगर विकास एवं आवास विभाग

# बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

# अधिसूचना

संख्या—5 (न) वि—06/2015 अधिसूचना संख्या—132 दिनांक 26/1/16/का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / —
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

# Government of Bihar Urban Development and Housing Department

No-5 (N) Vivdh-06/2015 13 23 /After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification No-4537 dated-02.09.2015 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) the State Government in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act constitute a Nagar Panchayat and in it enforce the relevant provisions of the Bihar Municipal Act, 2007 in the transitional areas falling within the boundary as described in the following schedule-'A' in the district-Katihar:-

#### Schedule-A

Thoma No

#### Name of villages and Thana Nos

| (a) Name of Village |                                      | <u>Inana No.</u> |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|
|                     | 1. Raghunathpur                      | 671              |
|                     | 2. Raghunathpur                      | 04               |
|                     | 3. Raghunathpur                      | 05               |
|                     | 4. Maulanapur                        | 07               |
|                     | 5. Bhagbarsoi                        | 06               |
|                     | 6. Sultanpur                         | 132              |
|                     | 7. Dakaitpuja                        | 131              |
| (b) Boundary:-      |                                      |                  |
| North-              | Masanpur                             |                  |
| South-              | Aajamnagar Block Simana Muja-Choundi |                  |
| East-               | Baltar                               |                  |
| West-               | Aajamnagar and kad                   | wa Block Simana  |
|                     |                                      |                  |

This area will be called Nagar Panchayat, Barsoi

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

Sd/(Amrit Lal Meena)
Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.

Memo No-5 (N) Vivdh-06/2015

UD&HD

Dated:-

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

Sd/-

(Amrit Lal Meena)

Principal Secretary
Urban Development and Housing Department.
Dated:-26/2/16 .Memo No-5 (N) Vivdh-06/2015 13 2-3 UD&HD Dated:-2 Copy to All Departments/Departmental Heads/all District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Katihar/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Principal Secretary to Principal Secretary Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

Principal Secretary Urban Development and Housing Department